स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 30/07/2019

File No. KM/20/2017/STGMP/ATOTH/RU-III

सेवा में,

अधिष्ठाता,
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल (मध्य प्रदेश)

विषयः प्रार्थी को विज्ञापन अनुसार वेतनमान एवं अन्य सुविधा देने हेतु एवं नियुक्ति दिनांक से नियामत करने के संबंध में – श्री कड़वाजी मण्डलोई, पम्प हेल्पर, जल प्रदाय विभाग, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, (मध्यप्रदेश) के संबंध में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 10.07.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय **में दिनांक 10.07.2019** को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

30/7/2019

(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. श्री कड़वाजी मण्डलोई,
   पम्प हेल्पर, जल प्रदाय विभाग,
   गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय,
   भोपाल, (मध्यप्रदेश)

2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- KM/20/2017/STGMP/DEOTH/RU - III)

श्री कड़वाजी मंडलोई, पम्प हेल्पर, जल प्रदाय विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा विज्ञापन के अनुसार वेतनमान एवं अन्य सुविधा देने हेतु एवं नियुक्ति दिनांक से नियमित करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 10.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री कड़वाजी मंडलोई, पम्प हेल्पर, जल प्रदाय विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 21.08.2002 के विज्ञापन के अनुसार वेतनमान एवं अन्य सुविधा देने हेतु एवं नियुक्ति दिनांक से नियमित करने के संबंध में अभ्यावेदन दिया था जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नोटिस भेजकर जानकारी मांगी थी।
2. मामले में कार्यालय अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से प्राप्त दिनांक 11.09.2017 के पत्र में बताया गया है कि विज्ञापन की चयन प्रक्रिया के समय तक संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1586-90/स्था./2002/दिनांक 23.09.2002 एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 02-79/55-1/2002/चि.शि./दिनांक 21.08.2002 द्वारा यह निर्देश जारी किए गए कि सभी पद संविदा आधार पर निश्चित वेतन से भरे जाने है तदनुसार विज्ञापन के आधार पर सभी पदों/श्रेणी/वर्गों के नियुक्ति पत्र निश्चित वेतन संविदा आधार पर ही जारी किए गए एवं किसी को भी नियमित वेतनमान में नियुक्ति नहीं दी गई, इस प्रकार आवेदक कड़वाजी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
3. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-80/05/1/55, दिनांक 08.03.2007 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत भत्तों पर दिनांक 08.03.2007 से अस्थायी रूप से नियमित किया गया है। पत्र के बिन्दु क्रमांक 2 में स्पष्ट

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उल्लेख है कि उक्त नियमितीकरण के बाद वे किसी प्रकार से संविदा नियुक्ति दिनांक से नियमित नियुक्ति दिनांक तक की वरिष्ठता, वेतन व अन्य लाभ की मांग नहीं करेंगे।

4. अभ्यावेदक द्वारा मामले में प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया था जिसका विभाग द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 10.07.2019 को बैठक आहूत की गई। जिसमें गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की ओर से प्राध्यापक डॉ जे.एल.मार्को उपस्थित हुए।
5. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को पहले बात रखने को कहा गया, श्री कड़वाजी मंडलोई ने बताया कि दिनांक 21.08.2002 के विज्ञापन के अनुसार पम्प हेल्पर के पद पर 2003 में नियुक्ति के लिए 2550-3200 रुपये वेतनमान पर भर्ती निकली थी जिस पर उन्होंने आवेदन किया था। उन्हें विभाग द्वारा दिनांक 05.03.2003 को संविदा पर 3595 रुपये प्रति माह पर नियुक्त किया गया था। इसके एक माह बाद हमीदिया चिकित्सालय में भर्ती हुई वहां वेतनमान पर स्थाई नियुक्ति दी गई जबकि दोनों नियमित रिक्ति थी। वर्ष 2007 के आदेश के अनुसार संविदा से वेतनमान पर वर्ष 2011 में नियमित किया गया।
6. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि दिनांक 21.08.2002 मध्यप्रदेश शासन के आदेश द्वारा कुछ पूर्व की बैकलॉग भर्ती थी इन सभी पदों पर एक साथ भर्ती किया जाना था। जिस पर कार्रवाई करते हुए रोस्टर संधारित्र करते हुए भर्ती की गई। कॉलेज स्तर पर संविदा के आधार पर ही नियुक्ति की गई थी। इन्हें वर्ष 2007 के शासन के आदेश के अनुसार 2011 में वेतनमान पर नियमित कर दिया गया है।
7. अभ्यावेदक ने बताया कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और हमीदिया चिकित्सालय दोनों में भर्ती एक ही विज्ञापन के आधार पर हुई थी। हमीदिया में स्थाई नियुक्ति की गई जबकि उनकी नियुक्ति संविदा पर की गई थी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2007 के शासनादेश से नियमित कर दिया है लेकिन यह अनुसूचित जनजाति वर्ग की बैकलॉग भर्ती थी। शासन द्वारा अगर 2003 से नियमित किया जाता तो उन्हें पेंशन का लाभ प्राप्त होता लेकिन 2007 से नियमित करने के कारण उन्हें पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त होगा। शासन द्वारा वर्ष 2007 के बजाय 2003 से नियमित किया जाना चाहिए।
8. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार ही महाविद्यालय द्वारा कार्रवाई की गई है। गांधी चिकित्सालय में शासन द्वारा ही संविदा नियुक्ति का आदेश था।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. आयोग द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई-

- दिनांक 21.08.2002 मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार पम्प हेल्पर के पद पर 2003 में नियुक्ति के लिए एससी/एसटी के बैकलॉग की भर्ती थी जिस पर वेतनमान पर नियुक्ति की जानी थी लेकिन गांधी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा अभ्यावेदक को संविदा पर नियुक्त किया गया। उक्त विज्ञापन में नियमित तौर पर नियुक्ति का प्रावधान था।
- अभ्यावेदक को वर्ष 2003 से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए साथ ही उन्हें पेंशन का लाभ भी प्राप्त होना चाहिए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के अंदर कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराएं ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- KM/20/2017/STGMP/DEOTH/RU - III)

श्री कड़वाजी मंडलोई, पम्प हेल्पर, जल प्रदाय विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा विज्ञापन के अनुसार वेतनमान एवं अन्य सुविधा देने हेतु एवं नियुक्ति दिनांक से नियमित करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश**
  - (1.) डॉ जे.एल.मार्को, प्राध्यापक
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री कड़वाजी मंडलोई